

पत्रांक-म०भो०/को०-68/2010.....2334

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति।

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 21/09/2013

विषय: वित्तिय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक लेखा संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब भेजने के संबंध में।
प्रसंग- पत्रांक 1889 दिनांक 16.12.2012, पत्रांक 64 दिनांक 21.01.2013, पत्रांक 120 दिनांक 18.02.2013, पत्रांक 189 दिनांक 23.02.2013, पत्रांक 437 दिनांक 12.04.2013, पत्रांक 848 दिनांक 2.05.2013 एवं पत्रांक 2066 दिनांक 09.08.13

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 20.09.2013 को प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के साथ आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है की मध्याह्न भोजन योजना, का वित्तिय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक का लेखा संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब समेकित कर अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। निदेशालय द्वारा उक्त अवधि का महालेखाकार कार्यालय को अंकेक्षित प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना है। महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आगामी राशि की निकासी पर प्रतिबन्ध भी लगाया जा सकता है। इस कार्य में संबंधित पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरते जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

2. पूर्व में प्रसांगिक पत्र के साथ भेजी गयी विहित प्रपत्र में वित्तिय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर (दिनांक 27.09.2013) तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इसे अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा जाय।

अनुलग्नक: समेकित प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन
ह०/-

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2334 / पटना, दिनांक 21/09/2013 /

प्रतिलिपि :- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.9.
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।